न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 147/2025
जीसीएमएस संख्याः 2025/278
निर्णय दिनांकः 31.10.2025
दायर दिनांकः 11.08.2025

1. दूड़ सिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लोणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही ग्राम लोणा में खाता संख्या 114 के खेत ख0नं0 107 तादादी 12.1645 है0 व खाता संख्या 29 के खेत ख0नं0 331/49 तादादी 0.1895 है0, ख0नं0 48 तादादी 1.5806 है0 कुल किता दो तादादी 1.7701 है0वादी केखातेदारी में दर्ज स्थित है जिसमें वादी का नाम धुड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह है। खाता संख्या 33 में अंकित खेत ख0नं0 1 तादादी 1.6312 है0, ख0नं0 31 तादादी 0.7839 है0, ख0नं0 33 तादादी 2.7060 है0 कुल 5.1211 है0 वाके रोही ग्राम टाडा तहसील सुजानगढ़ में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम धुड़सिंह पुत्र खेतसिंह दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम दूड़ सिंह पुत्र रेवन्तसिंहहै। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्रआदि समस्त दस्तावेजों में वादी का नामदुड़ सिंहपुत्र रेवन्तसिंह ही अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी का खेत रोही ग्राम लोणा व ग्राम टाडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दस्तोवजों वादी के दस्तावेजों में नाम दूड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह ही दर्ज है। वादी धूड़सिंह व दूड़सिंह दोनों एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मेंदूड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह दुरस्त किये जाने की अभिशंशा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड,पैनकार्ड, कार्ड में वादी का नाम दूड़ सिंह पुत्र रेवन्तसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरूस्त किया जावे।

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविशिट (अशुद्ध प्रविशिट)	आदेश (शुद्ध प्रविशिट जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	लोणा	114	धुड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह	दूड़ सिंह पुत्र रेवन्तसिंह
02	लोणा	29	धुड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह	दूड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह
03	टाडा	33	धुड़सिंह पुत्र खेतसिंह	दूड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह

अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेशित हो।तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलासमें सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

दूड़सिंह बनाम राजस्थान सरकार
दावा रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा न0 147 सन 2025
जीसीएमएस संख्या 2025/278

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....
..............................हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु व श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरूस्त किया जावे।

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविश्टि (अशुद्ध प्रविश्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविश्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	लोणा	114	धुड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह	दूड़ सिंह पुत्र रेवन्तसिंह
02	लोणा	29	धुड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह	दूड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह
03	टाडा	33	धुड़सिंह पुत्र खेतसिंह	दूड़सिंह पुत्र रेवन्तसिंह

अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेशित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व 'ारह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **31** माह **10** सन **2025**

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।